

सीमा शुल्क (पूरक नोटिस) विनियम, 2019

अधिसूचना सं. 42/2019-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 18 जून, 2019

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28 की उपधारा 7(क) और धारा 124 के दूसरे परन्तुक के साथ पठित धारा 157 की उपधारा (2) के उपवाक्य (च) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ:- इन विनियमों को सीमा शुल्क (पूरक नोटिस) विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. परिभाषा – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “अधिनियम” से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है।

(ख) “बोर्ड” से अभिप्राय केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से है।

2. ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिनका प्रयोग इन विनियमों में तो हुआ हो लेकिन वे यहां परिभाषित न हो कर उक्त अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अभिप्राय होगा जो इनके लिए उक्त अधिनियम में दिया गया हो ।

3. प्रयोज्यता - ये विनियम उन नोटिसों पर लागू होंगे जिनको इस अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के उपवाक्य (क) या उपवाक्य (4) के अंतर्गत या धारा 124 के दूसरे परन्तुक के अंतर्गत जारी किए गए हो इनमें वे नोटिस भी आते हैं जिनका इन विनियमों के लागू होने की तारीख तक अधिनिर्णय ना हुआ हो ।

4. ढंग एवं परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत पूरक नोटिस जारी किया जा सकता है .-(1) जहां कोई भी नोटिस उक्त अधिनियम की धारा 28 या धारा 124 के अंतर्गत जारी किया गया हो वहाँ किसी भी यथोचित अधिकारी के द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में पूरक नोटिस जारी किया जा सकता है :-

(क) यदि ऐसे नोटिस में मांगी गयी राशि की प्रमात्रा में कोई अंतर हो, इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें न्याय निर्णयन प्राधिकारी में बदलाव किए जाने की जरूरत हो;

(ख) उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इस मामले में आरोपित व्यक्ति के आलावा अन्य किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी दंडात्मक कार्यवाही को लागू करने के लिए;

(ग) ऐसे नोटिस में उक्त अधिनियम की किसी अतिरिक्त धारा / धाराओं को लागू कराने के लिए;
(घ) यदि ऐसा कोई अतिरिक्त साक्ष्य हो जिसका कि इस मामले पर खास प्रभाव पड़ सकता है

(2) जहां कोई नोटिस उक्त अधिनियम की धारा 28 या धारा 124 के अंतर्गत जारी किया गया हो, वहाँ पूरक नोटिस को उक्त अधिनियम की संगत धारा में निर्धारित समय सीमा के भीतर ही जारी किया जाएगा